

अल्प कालीन निविदा आमंत्रण सूचना

(ई-प्रोक्यूरमेंट सूचना)

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत निम्न निर्माण कार्यों हेतु कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों (क0सं0-2 व 4 पर अंकित कार्य के संबंध में कम्पनी/कम्पनी के अधिकृत विक्रेताओं से) से अधोलिखित कार्यों हेतु बिड्स आनलाइन दिनोंक-17 जनवरी, 2018 को अपराह्न 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निर्धारित तिथि को समयान्तर्गत प्राप्त निविदाओं को दिनोंक-17 जनवरी, 2018 को ही 12.30 बजे तहसील कसया सभागार में उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। निर्माण कार्य से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें/विस्तृत विवरण वेबसाइट www.ksadakushinagar.in/ व जनपद की वेबसाइट <http://kushinagar.nic.in/> व <https://etender.up.nic.in/> पर उपलब्ध है। निविदा की प्रक्रिया ऑन-लाईन शुरू होने के पश्चात समस्त कार्यवाही सिर्फ ऑन-लाइन ही होगी। कार्य का विवरण निम्नवत् है:-

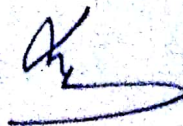
क0 सं0	कार्य का नाम/कार्य स्थल	कार्य की संख्या/लम्बाई	अनुमानित लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिरण्यावती नदी (बखिया नाला) का देवरिया-कसया रोड से परासखण्ड पुल तक नहरीकरण एवं फ्लैप गेट लगाये जाने का कार्य।	06 किमी.	92.81	6,64,050.00	10,400.00	आठ माह
2	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली कुशीनगर के मुख्य प्रवेश द्वार से रामाभार स्तूपा तक बुद्ध मार्ग के एक ओर विक्टोरियन/डेकोरेटिव लैम्प लगाये जाने का कार्य।	168 नग	133.09	8,65,450.00	15,000.00	तीन माह
3	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थली कुशीनगर के मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों ओर दो अदद बस सैल्टर (यात्री शेड) का निर्माण कार्य।	02 नग	29.87	2,98,650.00	3,350.00	तीन माह
4	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिरण्यावती नदी के किनारे बने बुद्धा घाट पर 16.00 मी0 ऊँचाई की हाईमास्ट लाईट लगाये जाने का कार्य।	02 नग	16.84	1,68,405.00	1,890.00	तीन माह
5	अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिरण्यावती नदी के किनारे बने	01 नग	09.08	90,845.00	1020.00	दो माह



	बुद्धा घाट पर स्टेनलेस स्टील का फाईवर शैड का निर्माण कार्य।					
6	कुशीनगर में स्थित पर्यटन स्थलों की दूरी एवं पहुँच मार्ग से संबंधित रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बोर्ड पर गाईड मैप तैयार किये जाने का कार्य।	04 नग	01.83	18,300.00	205.00	एक माह

शर्त:-

1. निविदा/बिड से संबंधित विस्तृत विवरण/सूचना कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.ksadakushinagar.in/ व जनपद की वेबसाइट <http://kushinagar.nic.in/> व <https://etender.up.nic.in/> पर उपलब्ध है।
2. कर्मोंक-2 व 4 पर अंकित कार्य के संबंध में कम्पनी के अधिकृत विक्रेता/डिस्ट्रीब्यूटर/सप्लायर से निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता के पास "क"-श्रेणी पंजीकृत/ अनुमोदित विद्युत सुरक्षा निदेशालय, लखनऊ द्वारा वर्ष 2016-2017 का विद्युत लाइसेंस होना अनिवार्य है। यह नियम केवल निर्माता कम्पनी के लिए मान्य नहीं है। अन्य नियम व शर्तें ई-पोर्टल पर देखी जा सकती हैं।
3. निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि0, लखनऊ में ई-टेण्डरिंग हेतु पंजीकृत होना आवश्यक होगा। उक्त कॉरपोरेशन के माध्यम से ई-टेण्डरिंग हेतु प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी।
4. निविदादाता द्वारा संबंधित प्रपत्र, प्रमाण-पत्र व अभिलेख सहित कालम-5 व 6 में अंकित धनराशि से संबंधित एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 व डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक की स्कैन्ड प्रति संलग्न किया जाना तथा अपनी निविदा (हार्डकॉपी) के साथ संलग्न करने के साथ ही ई-टेण्डर पोर्टल पर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा की फाइननेशियल/प्राइज बिड के साथ रू0-100/- के नान जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर रू0-1/- का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड कॉपी ऑनलाइन निविदा के साथ जमा करनी होगी।
6. निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक के रूप में, सचिव, कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर के नाम से भुगतानित, जो कि मूल रूप में निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा खोलने के पूर्व पंजीकृत डॉक द्वारा या हॉथों-हॉथ कार्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में डालना होगा। डॉक में हुए विलम्ब के लिए विभाग की कोई भी जवाबदेही नहीं होगी। उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न न होने की दशा में निविदा को Unresponsive मानते हुए, पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।
7. निविदादाता को धरोहर धनराशि के रूप में (कॉलम-6 के अनुसार) प्राधिकरण कोष में एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के माध्यम से जमा करना होगा। धरोहर धनराशि पोस्ट ऑफिस/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत प्रतिभूति के रूप में सचिव, कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर के पक्ष में बंधक होना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी/धरोहर धनराशि के रूप में बैंक गारन्टी मान्य नहीं होगी।



8. अनुबन्ध के समय निविदादाता से इस आशय का घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलैट नहीं किया जायेगा।
9. सामग्री/कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है, जिसके लिये निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
10. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी।
11. निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा किसी अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. निविदा कमेटी द्वारा निविदा बॉक्स में प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले विधिवत निरीक्षण/परीक्षण किया जायेगा कि वॉछित अभिलेख ठीक-ठीक उपलब्ध कराये गये हैं या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।
13. अनुबन्धकर्ता ठेकेदार के बीजकों से नियमानुसार आयकर, लेबर सेस, जी0एस0टी0 कर एवं तत्समय अन्य प्रचलित करों की कटौती की जायेगी।
14. निविदा प्रपत्र, वैयक्तिक मालिकाना फर्म, भागीदारी फर्म, पब्लिक/प्राइवेट कम्पनी द्वारा निम्न जानकारी की स्कैन्ड प्रतिलिपि को ई-टेंडरिंग पोर्टल पर अपलोड करने के साथ-साथ हार्डकॉपी उपलब्ध करानी होगी:-

क. वैध पंजीयन की प्रति

ख. आयकर चुकता प्रमाण-पत्र

ग. वर्तमान में चल रहे कार्यों की सूची।

घ. पैन कार्ड।

ड. समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र सहित।

च. संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित।

15. इस निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कसाड़ा, कुशीनगर के पास सुरक्षित रहेगा।
16. निविदादाता को अपनी वैद्य ई-मेल आई.डी. देना अनिवार्य होगा।
17. प्राधिकरण में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के सगे-सम्बन्धी ठेकेदार इस निविदा को खरीद एवं डाल नहीं सकते हैं, ऐसा पाये जाने पर उनकी निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
18. निविदा प्रपत्र में कम सं0-1 पर वर्णित कार्य समय-समय पर प्रचलित सिंचाई विभाग की तकनीकी विशिष्टियों तथा अन्य कार्य लोक निर्माण विभाग तथा प्राधिकरण की तकनीकी विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराना होगा।
19. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
20. कोई निविदादाता, जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
21. राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।



22. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।
23. विशेष परिस्थिति में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऑन-लाइन/नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करा दी जायेगी। निविदा की प्रक्रिया ऑन-लाइन शुरू होने के पश्चात समस्त कार्यवाही सिर्फ ऑन-लाइन ही होगी।
24. अनुबन्ध गठित हो जाने के पश्चात भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।
25. निविदा में वॉछित अभिलेख को ई-पोर्टल पर लोड करने के साथ ही हार्डकॉपी निविदा प्रपत्र के साथ कार्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में डाला जाना अनिवार्य होगा अथवा पंजीकृत डॉक से नियत समय/तिथि के पूर्व प्राप्त कराना होगा। नियत तिथि/समय के पूर्व निविदा प्रपत्र प्राप्त न होने की दशा में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
26. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।
27. कार्य के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुशीनगर कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
28. फर्म को नियमानुसार अनुबन्ध निस्पादित कराना होगा।
29. उक्त कार्यों में जी0एस0टी0 कटौती/देयता नियमानुसार की जायेगी।

(श्री प्रकाश शुक्ल)
सचिव,
कसाडा-कुशीनगर।

कार्यालय कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कुशीनगर-कसया

पत्रांक- 316 / कसाडा-2017-18,

दिनांक- 30 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष, कसाडा/मण्डलायुक्त महोदय गोरखपुर।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय, कुशीनगर।
3. विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान व राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से कि उपरोक्त का प्रकाशन अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में करते हुए बिल/बीजक भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, कुशीनगर को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञापन को जनपद की वेबसाइट पर निविदा हेडिंग में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. प्राधिकरण वेबसाइट तथा ई-निविदा की साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(श्री प्रकाश शुक्ल)
सचिव,
कसाडा-कुशीनगर।